

डिक्री बमुकदमें ईब्लदाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया सहिता  
न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीणा (आर.ए.एस.)  
प्रकरण संख्या :- 179/2023  
वाद पत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.

1. अनिता रानी पत्नी त्रिलोचन जाति ब्राह्मण निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. शंकरराम पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राह्मण निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. सरजीत कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार
4. सन्तो पत्नी साहबराम
5. साहबराम पुत्र लाधुराम
6. महेन्द्र सिंह पुत्र मोहनलाल
7. रघुवीर सिंह पुत्र मोहनलाल

जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)



बनाम

—वादीगण

1. जयराम पुत्र बहादरराम जाति जाट साकिन नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा नुकेरा
3. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा संगरिया
4. शाखा प्रबन्धक पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा संगरिया
5. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 28.5.2024

यह राजस्व मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री कैलाश सिंवल वकील वादीगण मिन जामिन मुदई व श्री बन्दुश बिश्नोई वकील प्रतिवादीगण की उपस्थिति में यह डिक्री दी जाती है। अतः वाद वाद वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को आदेशित किया जाता है कि वादी संख्या 1 अनिता पत्नी त्रिलोचन 0.619 है. व वादी सं. 2 शंकरलाल पुत्र श्री जगन्नाथ 1.277 है. के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि का विवरण चक 3 पीटीपी के खाता संख्या 35/26 जमाबन्दी सं. 2071-2074

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
146/129	11	13/0.126,16/0.253,18/0.253 19/0.126, 23/0.171, 25/0.253
146/130	12	4/1/0.228 4/2/0.025 5/1/0 228 5/2/0.025,6/0.253

सहायक कलेक्टर एवं

पीठासीन अधिकारी

संगरिया

कुल 1941 है नहरी मय गैर मुमकिन

वादी संख्या 3 सरजीत कुमार 0949 है क हक हिस्सा व कब्जा काशत की कृषि भूमि का विवरण चक 3 पीटीपी के खाता संख्या 35/26 जमाबन्दी सं 2071-2074

प.न.	मु.न.	कि.न.
146/129	11	7/0.126, 14/0.253, 17/0.253 23/0.085, 24/0.253

कुल 0.948 है. नहरी

वादी संख्या 4 सन्तो पत्नी साहबराम व वादी संख्या 5 साहबराम के व हक हिस्सा व कब्जा काशत की कृषि भूमि का विवरण चक 3 पीटीपी के सं संख्या 35/26 जमाबन्दी संवत 2071-2074

प.न.	मु.न.	कि.न.
146/129	11	23/0.019 है.
148/132	35	15/1/0.059, 15/2/0.025 है.
149/132	36	9/0.253, 10/0.253, 11/0.253

12/0.085, 17/0.253, 24/1/0.227, 24/2/0.025 कुल 1.452 है. नहरी मय गैर मुमकिन

वादी संख्या 5 साहबराम के हक हिस्सा व कब्जा काशत की कृषि भूमि का विवरण 3 पीटीपी के खाता संख्या 36/27 जमाबन्दी संवत 2071-2074

प.न.	मु.न.	कि.न.
148/132	35	14/0.253 कुल 0.253 है. नहरी

वादी संख्या 6 महेन्द्रसिंह व वादी संख्या 7 रघुवीरसिंह की ब.हि.ब हक हिस्सा व कब्जा काशत की कृषि भूमि का विवरण चक 3 पीटीपी के खाता संख्या 35/26 जमाबन्दी संवत 2071-2074

प.न.	मु.न.	कि.न.
149/132	36	12/0.168 13/0.253, 18/0.253 19/0.253, 20/0.253, 22/0.253, 23/0.253 है.

कुल 1.686 है. नहरी।

उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण सं. 1 ता 6 का खाता विभाजित कर रकमराज अलग से कायम की जावे। वादी सं. 6 व 7 का नाम चक नं. 3 पी.टी.पी. खाता सं. 36/27 से कलमजन किया जावे।

आराजी बैंक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैंक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

निज  निल  मुब्लिक  निल  बाबत  निल  खर्चा मुकदमे के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक  को अदा करें।

वसूल मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 28.5.2014 को जारी किया गया।



(राकेश कुमार मीना)  
सहायक जज (अधीनस्थ)  
उपखण्ड अदालत, जालंधर  
संगरिया